[ 2021 ] 4 एस. सी. आर. 521

अलोक कौशिक

बनाम

श्रीमती भुवनेश्वरी रामनाथन और अन्य

( सिविल अपील संख्या 4065/2020 )

15 मार्च, 2021

[ न्यायमूर्तिगण डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और एम. आर. शाह]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016: एस. 60 (5) (ग)-मूल्यांकनकर्ता के शुल्क के संबंध में विवाद-निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के अनुसरण में, प्रथम उत्तरदाता को समाधान वृत्तिक (आर. पी.) के रूप में नियुक्त किया गया था- (आर. पी.)-समाधान वृत्तिक ने 115 स्थलों के निगमित देनदार के संयंत्र और मशीनरी के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपीलार्थी को नियुक्त किया और 7.5 लाख रुपये और अन्य खर्चों की पुष्टि लेनदारों की समिति (सी. ओ. सी.) द्वारा  की गई-अपीलार्थी का दावा है कि उसने 84 स्थलों का मूल्यांकन कार्य किया है और उसने 52,000 रूपये के खर्चों का भुगतान किया है-एन. सी. एल. ए. टी. ने निगमित देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. को अपास्त कर दिया और सी. आई. आर. पी. लागत के बिंदु पर इस मामले को एन. सी. एल. टी. में रिमांड किया | एन. सी. एल. टी. ने समाधान वृत्तिक की फीस निर्धारित की और इस लेनदारों की समिति द्वारा निर्धारित फीस में से 20 प्रतिशत घटा दिया - एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के आलोक में समाधान वृतिक ने अपीलार्थी की नियुक्ति को रद्द कर दिया और अपीलार्थी से शुल्क की माफी के लिए अनुरोध किया-बदले में, अपीलार्थी अपने शुल्क में खर्चो सहित 25 प्रतिशत की कमी करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि, आर. पी. ने अपीलार्थी को सूचित किया कि अनुमोदित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है और रूपये 50,000 की राशि का भुगतान किया -अपीलार्थी ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष शुल्क का भुगतान न करने को चुनौती देते हुए धारा  60 ( 5 ) के तहत आवेदन दायर किया|

-हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने इस आधार पर आवेदन को खारिज कर दिया कि यह आधिकारिक रूप से कार्यात्मक नहीं रह गया था-एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया-इसलिए तत्काल अपील-अभिनिर्धारित किया गया- यद्यपि सी. आई. आर. पी. को बाद में अपास्त कर दिया गया था, अपीलार्थी का दावा उस अवधि से संबंधित है जब वह सी. आई. आर. पी. की एक आनुषंगिक घटना के रूप में नियुक्त एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा था। एन. सी. एल. टी. को संहिता की धारा 60 (5) ग के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए था -संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान मामले जैसी स्थिति में, एन. सी. एल. टी. को आई. बी. सी. की धारा 60 ( 5 ) ( ग) के तहत सी. आई. आर. पी. लागत के एक आंतरिक भाग के रूप में एक विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता को देय राशि का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।जो है- आई. आर. पी. विनियमों में परिभाषित ' दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत ' सम्बन्धी विनियमन 34 में आर. पी. द्वारा नियुक्त अन्य वृत्तिकों की फीस को शामिल किये जाने का प्रावधान है आर. पी. द्वारा नियुक्त वृत्तिक -क्या कोई काम किया गया है जैसा दावा किया गया है और यदि ऐसा है, तो मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक तथ्यात्मक मामला है जिसका मूल्यांकन एन. सी. एल. टी. द्वारा किया जाना है।

एक शोधन वृत्तिक अक्षमता वृत्तिक के खिलाफ आई. बी. सी. के तहत शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता एन. सी. एल. टी. को धारा 60 ( 5 ) ( ग) के तहत अपीलार्थी को देय राशि पर विचार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से निर्निहित नहीं करता है। आई. बी. सी.-किसी भी स्थिति में, इस तरह के शिकायत निवारण तंत्र का उद्देश्य आर. पी. के गलत आचरण को दंडित करना है न कि अन्य वृत्तिकों के दावों को निर्धारित करना जो सी. आई. आर. पी. लागत का हिस्सा हैं-एन. सी. एल. ए. टी. के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है-तदनुसार कार्यवाही को एन. सी. एल. टी. को वापस भेज दिया जाता है ताकि वह सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के अनुसरण में आर. पी. द्वारा नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में वृत्तिक शुल्क के भुगतान के लिए अपीलार्थी के दावे का निर्धारण कर सके |

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को एन. सी. एल. टी. को प्रेषित करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया - 1.1 जहां आई. बी. सी. की धारा 12ए के तहत निकासी के लिए आवेदन दायर किया जाता है, वहां विनियम 30 (ए) 7 में खर्चों की जमा से सम्बंधित एक प्रावधान किया गया है। विनियम 30 (ए) विशेष रूप से वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा। स्थिति, क्योंकि यह एक ऐसे मामले से संबंधित है जहाँ एक आवेदन को आई. बी. सी. की धारा 12ए के तहत वापस लिया गया। अपीलार्थी का यह तर्क देना उचित है कि आई. बी. सी. के दायरे और क्षेत्र के भीतर एक ऐसा मंच होना चाहिए जिसके पास वर्तमान प्रकृति के दावे पर निर्धारण करने का अधिकार क्षेत्र हो, जिसे एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा स्थापित किया गया है जिसे आर. पी द्वारा सी. आई. आर. पी. के अनुसरण में नियुक्त किया गया था| एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा सी. आई. आर. पी. को अपास्त और सी. आई. आर. पी. लागतों पर निर्णय लेने के लिए एन. सी. एल. टी. को कार्यवाही प्रेषित करने के बाद, एन. सी. एल. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी के दावे के संबंध में इसे आधिकारिक प्रयोजन हेतु समाप्त माना गया था। यह एक निर्णय के रूप में आई. बी. सी. के अधीन निर्णयन प्राधिकरण के रूप में एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र का गलत अध्ययन होगा।

{पैरा 16,18]

1.2 यद्यपि सी. आई. आर. पी. को बाद में अपास्त कर दिया गया था, अपीलार्थी का पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में दावा उस अवधि से संबंधित है जब वह सी. आई. आर. पी के आनुषंगिक परिणाम के रूप में नियुक्त एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा था । एन. सी. एल. टी. द्वारा आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने को न्यायसंगत कहा जा सकता है |

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान मामले जैसी स्थिति में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 60 ( 5 ) ( ग) आई. बी. सी. के तहत उस राशि का निर्धारण करने में जो सी. आई. आर. पी. के आंतरिक भाग के रूप में एक विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता को देय है, पर्याप्त रूप से सशक्त है। आई. आर. पी. विनियमों के विनियम 34 में आर. पी. द्वारा नियुक्त अन्य वृत्तिक ों के शुल्क को शामिल करने के लिए 'दिवाला

समाधान प्रक्रिया लागत' को परिभाषित किया गया है। क्या दावा किए जाने के अनुसार कोई कार्य किया गया है और यदि ऐसा है, तो मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे इस न्यायालय को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक तथ्यात्मक मामला है जिसका मूल्यांकन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

[ पैरा 19]

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम अमित गुप्ता और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 194-पर भरोसा किया।

2. एन. सी. एल. टी. ने अपने आदेश में शुल्क के भुगतान के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए कहा था कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ('आईबीबीआई') आरपी के खिलाफ वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी विफलता से संबंधित (पैराग्राफ 7) आरोपों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।। आई. बी. सी. की धारा 217 आर. पी. के कामकाज से व्यथित व्यक्ति को आई. बी. बी. आई. में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देती है। यदि आई. बी. बी. आई. शिकायत की प्राप्ति पर यह विश्वास करता है कि किसी भी आर. पी. ने आई. बी. सी. के प्रावधानों, या आई. बी. बी. आई. द्वारा जारी नियमों, विनियमों या निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है तो यह आई. बी. सी. की धारा 218 के तहत निरीक्षण या जांच का निर्देश दे सकता है। आई. बी. सी. की धारा 220 के तहत, आई. बी. बी. आई. जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक अनुशासनात्मक समिति का गठन कर सकता है। अगर अनुशासनात्मक समिति संतुष्ट है कि पर्याप्त कारण मौजूद है, वह जुर्माना लगा सकती है। शोधन अक्षमता वृत्तिक के खिलाफ आई. बी. सी. के तहत शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता अपीलार्थी को देय राशि पर विचार करने के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. को अपने अधिकार क्षेत्र से अलग नहीं करता है। किसी भी स्थिति में, इस तरह के शिकायत निवारण तंत्र का उद्देश्य आर. पी. के गलत आचरण को दंडित करना है न कि अन्य वृत्तिकों के दावों को निर्धारित करना जो सी. आई. आर. पी. लागत का हिस्सा हैं। [ पैरा 20]

3. एन. सी. एल. ए. टी. का आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया गया है। तदनुसार कार्यवाही सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के अनुसरण में आर. पी. द्वारा

नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में वृत्तिक  शुल्क के भुगतान के लिए अपीलार्थी के दावे का निर्धारण करने के लिए एन. सी. एल. टी. को वापस भेज दी गई। [ पैरा 21]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 4065/2020

2020 की कंपनी अपील (ए. टी.) (आई) संख्या 857 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के दिनांक 21.03.2019 के निर्णय और आदेश से।

मनीष पालीवाल, विकास कुमार, मैसर्स कॉरपोरेट लीगल पार्टनर्स, एड. अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया था

1. स्वीकार करें।

2. वर्तमान अपील कावेरी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") नाम की कंपनी के दिवालिया होने से संबंधित कार्यवाही से उत्पन्न होती है। । राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, बेंगलुरु ("एन. सी. एल. टी". या "निर्णायक प्राधिकरण") ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.)  द्वारा कॉर्पोरेट देनदार 21 मार्च 2019 के अपने आदेश  द्वार शुरू की | 26 अगस्त 2019 के एक आदेश द्वारा, पहले प्रतिवादी को समाधान वृत्तिक ("आरपी") के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. 16 सितंबर 2019 के एक पत्र द्वारा, प्रथम प्रतिवादी ने अपीलार्थी को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 ("आईआरपी विनियम") के विनियम 27 के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाता के संयंत्र और मशीनरी के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया। अपीलार्थी को पूरे भारत में निगमित ऋणदाता के 115 स्थलों पर संयंत्र और मशीनरी का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया था। 9 दिसंबर 2019 को आयोजित अपनी बैठक में दूसरे प्रतिवादी के नेतृत्व में लेनदारों की समिति ("सी. ओ. सी".) द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति शुल्क (7.5 लाख रुपये और लागू जी. एस. टी.) और अन्य खर्चों की पुष्टि की गई।

4. अपीलार्थी का दावा है कि उसने 84 से अधिक स्थलों का मूल्यांकन कार्य किया है और चालीस स्थलों का दौरा किया है। इसके अलावा, कई बाहरी स्टेशनों पर

अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी के बीच बैठकें भी आयोजित की गई थीं। अपीलार्थी ने कहा है कि उसने 52,000 रुपये के खर्च का भुगतान किया है।

5. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण ("एन. सी. एल. ए. टी". या "अपीलीय प्राधिकरण") ने 18 दिसंबर 2019 के एक आदेश द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सी. आई. आर. पी. की शुरुआत को अपास्त कर दिया। एनसीएलएटी ने सी. आई. आर. पी. लागत के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए मामले को एन. सी. एल. टी. को वापस भेज दिया गया। 20 दिसंबर 2019 के एक आदेश द्वारा, एन. सी. एल. टी. ने आर. पी. के शुल्क पर निर्णय लिया और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित शुल्क से इसे 20 प्रतिशत कम कर दिया।

6. एनसीएलएटी के 18 दिसंबर 2019 के सम्बन्ध में, प्रथम प्रतिवादी ने 19 दिसंबर 2019 को अपीलार्थी की नियुक्ति को रद्द कर दिया अपीलार्थी को देय शुल्क के संबंध में, प्रथम प्रत्यर्थी ने उससे छूट पर विचार करने का अनुरोध किया। बदले में, अपीलार्थी देय खर्चों के साथ-साथ सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित शुल्क से अपने शुल्क में 25 प्रतिशत की कमी करने पर सहमत हो गया। हालांकि, 2 मार्च 2020 को, पहला प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को सूचित किया कि अनुमोदित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता है, और 50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया।

7. इसके बाद अपीलार्थी ने शुल्क का भुगतान न करने को चुनौती देते हुए एन. सी. एल. टी. के समक्ष दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("आई. बी. सी".) की धारा 60 (5) के तहत आवेदन[1] दायर किया। हालांकि, एन. सी. एल. टी. ने खारिज कर दिया कि 29 जून 2020 के एक आदेश द्वारा आवेदन यह निष्कर्ष निकालते हुए कि इसे आधिकारिक रूप से कार्यात्मक नहीं माना गया था। अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने 13 अक्टूबर 2020 के एक आदेश द्वारा अपीलार्थी के तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि 50,000 रुपये की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अपीलार्थी ने एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश को चुनौती देने के लिए आई. बी. सी. की धारा 62 के तहत अपील दायर करके इस न्यायालय का रुख किया।

8. 11 जनवरी 2021 को, इस न्यायालय ने अपील में नोटिस जारी किया और ऐसा करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

---

[1] सीए सं. 192/ 2020

" 1. श्री मनीष पालीवाल, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है किः

(i) 16 सितंबर 2019 को अपीलार्थी को पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और 19 दिसंबर 2019 को लेनदारों की समिति द्वारा उनकी वृत्तिक फीस और अन्य खर्चों के रूप में 7.5 लाख रुपये की राशि की पुष्टि की गई;

(ख) एन. सी. एल. ए. टी. ने 18 दिसंबर 2019 के अपने आदेश द्वारा निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया और कार्यवाही को अपास्त करते हुए सी. आई. आर. पी. लागतों को निर्धारित करने पर निर्णय लेने के लिए एन. सी. एल. टी. को भेज दिया गया था।

( iii) 20 दिसंबर 2019 को, एनसीएलटी ने अंतरिम समाधान वृत्तिक के लिए देय शुल्क निर्धारित किया

( iv) हालांकि, एन. सी. एल. ए. टी. के आदेश के बावजूद, एन. सी. एल. टी. द्वारा उस राशि का निर्धारण नहीं किया गया था जो एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में किए गए कार्य के लिए अपीलार्थी को लंबित और देय थी, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि 50, 000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

2. नोटिस जारी करें, जो चार सप्ताह में वापस किया जा सकता है।

3. इसके अलावा दस्ती, की भी अनुमति है।

9. कार्यालय रिपोर्ट इंगित करती है कि सभी उत्तरदाताओं को तामील कर दी गई है। 19 फरवरी 2021 के एक आदेश द्वारा, कॉर्पोरेट देनदार को नया नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था, जो तीन सप्ताह में वापस किया जा सके।जिसकी तामील भी पूरी हो चुकी है।

10. वर्तमान अपील में मुद्दा एक आई. बी. सी. के तहत सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बादपंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को देय लागत, शुल्क, खर्च और वृत्तिक शुल्क से संबंधित है, ऐसी स्थिति में जहां सी. आई. आर. पी. को अंततः न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपास्त कर दिया गया था ।

11. अपीलार्थी का निवेदन है कि न तो एन. सी. एल. टी. और न ही एन. सी. एल. ए. टी. ने उसे एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की क्षमता में देय वृत्तिक शुल्कों पर अपना मस्तिष्क अनुप्रयुक्त किया है। अपीलार्थी के अनुसार, उसने 84 स्थलों का मूल्यांकन पूरा कर लिया था और मूल्यांकन प्रक्रिया में 52,000 रुपये का खर्च उठाया था। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष पालीवाल ने यह भी अनुरोध किया कि अपीलार्थी द्वारा जी. एस. टी. के लिए 35,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। लेकिन अपील में जिस वास्तविक मुद्दे पर विचार करने की मांग की गई है, वह यह है कि वर्तमान स्थिति में, जहां सी. आई. आर. पी. को अपीलीय प्राधिकरण द्वारा अपास्त कर दिया गया था, सारी प्रक्रिया को आई. बी. सी. के ढांचे के भीतर होना चाहिए, जो अपीलार्थी जैसे वृत्तिक मूल्यांकनकर्ता के दावे को निर्धारित करने का एक तरीका है। एन. सी. एल. टी. इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह पद्कार्य निवृत था। एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।

12. आई. बी. सी. की धारा 5 (13) में 'दिवाला समाधान लागत' शब्द को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया हैः

13 ) “ दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत "का अर्थ है -

( क ) किसी भी अंतरिम वित्त की राशि और इस वित्त को उत्पन्न करने में आई हुई लागत

( ख) समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को देय वृत्तिक शुल्क;

(ग) निगमित देनदार का व्यवसाय चलने में समाधान वृत्तिक द्वारा किया गया कोई भी खर्च

(घ) दिवाला समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार के खर्च पर होने वाली कोई भी लागत; और

( ई) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली कोई अन्य लागत;

13 . आई. आर. पी. विनियमों का विनियम 31 अध्याय 9 में निहित है जिसका शीर्षक 'दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत' है। विनियम 31 निम्नलिखित इस प्रकार है -

1. दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत। - " धारा 5 (13) (ई) के तहत समाधान प्रक्रिया लागत का अर्थ होगा

( अ) विनियमन 32 के तहत आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि;

( ए. ए.) विनियम 16ए का उपविनियम (7) के तहत अधिकृत प्रतिनिधि को देय शुल्क ;

( ए. बी.) धारा 25ए के तहत अपने कार्यों का निर्वहन के लिए अधिकृत प्रतिनिधि की जेब से खर्च ;

( ख) उस व्यक्ति को देय राशि जिसके अधिकार धारा 14 (1) (डी) के तहत लगाए गए अधिस्थगन के कारण पूर्वाग्रहपूर्ण रीति से प्रभावित हैं

( (ग) विनियमन 33 के तहत अनुमोदित सीमा तक समाधान वृत्तिक पर या उसके द्वारा किए गए खर्च

(घ) विनियम 34 के तहत तय किया गया समाधान वृत्तिक पर या उसके द्वारा किए गए खर्च ; और

( ई) निगमित दिवालियापन समाधान प्रक्रिया और समिति द्वारा अनुमोदित से सीधे संबंधित अन्य लागतें

14. विनियमन 31 के खंडों में से, वर्तमान मामले में विशेष महत्व के खंड (ग) है जो विनियमन 33 के तहत अनुमोदित सीमा तक आई. आर. पी. पर या उसके द्वारा किए गए खर्चों का उल्लेख करता है। खंड (ई) सी. आई. आर. पी. से सीधे संबंधित और सी. ओ. सी. द्वारा अनुमोदित अन्य लागतों को संदर्भित करता है। विनियमन 33 आई. आर. पी. की लागतों के लिए प्रावधान करता हैः

" 33. अंतरिम समाधान वृत्तिक की लागत। - ( 1 ) आवेदक अंतरिम समाधान वृत्तिक पर या उसके द्वारा किए जाने वाले खर्चों को तय करेगा।

(2) जहाँ अपीलार्थी ने उप विनियम -1 के तहत ऐसा खर्च तय नहीं किया है वहां निर्णायक प्राधिकारी इसे तय कर सकेगा |

( 3 ) आवेदक उन खर्चों को वहन करेगा जिन्हें समिति द्वारा उस हद तक प्रतिपूर्ति की जाएगी जिस सीमा तक वह अनुसमर्थन करती है।

( 4 ) समिति द्वारा अनुमोदित व्यय की दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत के रूप में मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण- इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, "खर्चों" में अंतरिम समाधान वृत्तिक को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, दिवाला वृत्तिक इकाई को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो और वृत्तिकों को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, और अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्च शामिल है।

15 " समाधान वृत्तिक लागत "को विनियमन 34 में परिभाषित किया गया हैः

" 34. समाधान वृत्तिक लागत। समिति समाधान वृत्तिक पर या उसके द्वारा किए जाने वाले खर्चों को तय करेगी और ऐसे खर्च दिवालिया समाधान प्रक्रिया लागत का घटक माने जाएंगे।

स्पष्टीकरण। इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, "खर्चों" में समाधान वृत्तिक को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, दिवालिया वृत्तिक इकाई को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, और वृत्तिकों को भुगतान किया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, और अन्य खर्च शामिल हैं।

16. जहां आई. बी. सी. की धारा 12ए के तहत निकासी के लिए आवेदन दायर किया जाता है, वहां खर्च जमा करने के संबंध में विनियमन 30ए (7) में एक प्रावधान किया गया है। विनियम 30ए (7) में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

" 30ए. आवेदन वापस लेना।

( 7 ) जहां आवेदन उप-विनियम (6) के तहत अनुमोदित है, आवेदक उप-विनियम के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए वास्तविक खर्च के लिए एक राशि जमा करेगा।

(2) न्यायनिर्णायकप्राधिकरण द्वारा अनुमोदन की तारीख तक , जैसा कि अंतरिम समाधान वृत्तिक द्वारा निर्धारित किया जाता है या समाधान वृत्तिक , जैसा भी मामला हो, निगमित देनदार के बैंक खाते में इस तरह की मंजूरी के तीन दिनों के भीतर , विफल रहने पर उप-विनियम (2) के तहत प्राप्त बैंक गारंटी अनुज्ञेय, संहिता के तहत आवेदक के खिलाफ किसी अन्य कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना लागू किया जाए "।

17. विनियमन 30 ए का खंड 2, जिसका खंड 7 में उल्लेख किया गया है,

यह इस प्रकार हैः

" ( 2 ) उप-विनियम (1) के तहत -बैंक गारंटी के साथ अनुसूची के एफ. ए.प्रपत्र पर आवेदन किया जाएगा

( अ) अंतरिम समाधान वृत्तिक पर या उसके द्वारा विनियमन 33 के प्रयोजनों के लिए किए गए अनुमानित खर्चों के प्रति या उप-विनियम (1) के खंड (ए) के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख तक अथवा

( ख) विनियम 31 के खंड (एए), (एबी), (सी) और (डी), उप-अधिनियम के खंड (बी) के तहत अनुमानित खर्चों के प्रति विनियम (1) " के अंतर्गत आवेदन दाखिल करने की तारीख तक।

18. विनियम 30 (ए) विशेष रूप से वर्तमान स्थिति पर लागू नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां आई. बी. सी. की धारा 12 ए के तहत एक आवेदन वापस लिया जाता है। अपीलार्थी का यह तर्क देना उचित है कि आई. बी. सी. के क्षेत्र और दायरे में एक ऐसा मंच होना चाहिए जिसके पास वर्तमान प्रकृति के दावे पर निर्धारण करने का अधिकार क्षेत्र हो, जिसे आर. पी. द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के अनुसरण में नियुक्त किए गए एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा स्थापित किया गया है। एनसीएलएटी द्वार सी. आई. आर. पी. को अपास्त करते हुए और सी. आई. आर. पी. लागतों पर निर्णय लेने के लिए एन. सी. एल. टी. को कार्यवाही प्रेषित करते हुए, एन. सी. एल. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि इसे अपीलार्थी के दावे के संबंध में पद्कार्य निवृत माना गया था। यह, हमारे विचार में,

आईबीसी के तहत एक निर्णायक प्राधिकरण के रूप में एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र का गलत अध्ययन होगा।

। हाल के एक फैसले में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम अमित गुप्ता और अन्य 2, इस न्यायालय ने आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) 3 के तहत एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के अधिकार क्षेत्र को निम्नलिखित अनुसार स्पष्ट कियाः

" 71. आई. बी. सी. के तहत संस्थागत ढांचे ने दिवाला संबंधी मामलों से निपटने के लिए एकल मंच की स्थापना, जो पहले कई मंचों पर वितरित किए गए थे, पर विचार किया। इसलिए, धारा 60 (5) (ग) के पाठ पर विचार करते हुए और अन्य दिवालियापन सम्बन्धी विधानों में समान प्रावधानों की व्याख्या, एन. सी. एल. टी. के पास विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है , जो पूरी तरह से कारपोरेट ऋणी के दिवालियेपन से उत्पन्न होते हैं या जो उससे संबंधित हैं| हालाँकि, ऐसा करने में हम एन. सी. एल. टी. एवं एन. सी. ए. एल. टी. को एक चेतावनी देते हैं कि

कि वे अन्य न्यायालयों के वैध अधिकार क्षेत्र, न्यायाधिकरण और मंच को हड़प नहीं लेते हैं, जब विवाद वह हो जो केवल निगमित देनदार की दिवालियापन से संबंधित या उससे संबंधित नहीं हो। कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन के साथ सम्बन्ध अवश्य मौजूद होनी चाहिए।

( बल दिया गया)

19. हालाँकि सी. आई. आर. पी. को बाद में अपास्त कर दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी का दावा उस अवधि से संबंधित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में जब वह सी. आई. आर. पी. के एक आनुषंगिक परिणाम के रूप में नियुक्त एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा था। एन. सी. एल. टी. आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित होता और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, हम तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि वर्तमान मामले जैसी स्थिति में, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पास" आई बी सी की धारा 60 (5) (सी)[2] के तहत सी आई आर पी की आंतरिक लागत के रूप में

---

[2]-निगमित व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरणः ( 5 ) तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रीय कंपनी कानून

समाधान वृत्तिक को देय राशि का निर्धारण  करने के लिए पर्याप्त सशक्त है | आई आर पी का विनियम 34 दिवालियापन समाधान प्रक्रिया लागत में आर पी द्वारा नियुक्त अन्य वृत्तिकों के शुल्क को भी शामिल करता है| क्या कोई कार्य किया गया है और यदि किया गया है तो उसकी प्रकृति क्या है इस प्रश्न पर इस न्यायालय को विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विशुद्ध रूप से एक तथ्यात्मक मामला है जिसका मूल्यांकन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।

20. एन. सी. एल. टी. ने 29 जून 2020 के अपने आदेश में शुल्क के भुगतान के लिए अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ("आई. बी. बी. आई".) आर. पी. के खिलाफ वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनकी विफलता (पैराग्राफ 7) से संबंधित आरोपों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। आई. बी. सी. की धारा 217 आर. पी. के कामकाज से व्यथित व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है। यदि आई. बी. बी. आई. शिकायत की प्राप्ति पर यह विश्वास करता है कि किसी भी आर. पी. ने  आई. बी. सी. के प्रावधानों, या आई. बी. बी. आई. द्वारा जारी नियमों, विनियमों या निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है तो यह आई. बी. सी. की धारा 218 के तहत निरीक्षण या जांच का निर्देश दे सकता है। आई. बी. सी. की धारा 220 के तहत, आई. बी. बी. आई. जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक अनुशासनात्मक समिति का गठन कर सकता है। अगर अनुशासनात्मक समिति संतुष्ट है कि पर्याप्त कारण मौजूद है, वह जुर्माना लगा सकती है। शोधन अक्षमता वृत्तिक  के खिलाफ आई. बी. सी. के तहत शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्धता अपीलार्थी को देय राशि पर विचार करने के लिए आई. बी. सी. की धारा 60 (5) (सी) के तहत एन. सी. एल. टी. को अपने अधिकार क्षेत्र से अलग नहीं करता है। किसी भी स्थिति में, इस तरह के शिकायत निवारण तंत्र का उद्देश्य आर. पी. के गलत आचरण को दंडित करना है न कि अन्य वृत्तिकों के दावों को निर्धारित करना जो सी. आई. आर. पी. लागत का हिस्सा हैं।

---

न्यायाधिकरण के पास इस पर विचार करने या उसका निपटारा करने का अधिकार क्षेत्र होगा। ( ग) निगमित देनदार के दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न प्राथमिकताओं का कोई प्रश्न या कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न या इस संहिता के तहत निगमित व्यक्ति "।

21. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और एन. सी. एल. ए. टी. के 13 अक्टूबर 2020 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त कर देते हैं। तदनुसार कार्यवाही सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के अनुसरण में आर. पी. द्वारा नियुक्त पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में वृत्तिक शुल्क के भुगतान के लिए अपीलार्थी के दावे का निर्धारण करने के लिए एन. सी. एल. टी. को वापस भेज दी जाएगी। । एन. सी. एल. टी. द्वारा एक नए निर्धारण की सुविधा के लिए, 18 दिसंबर 2019 को एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेश को भी अपास्त कर दिया गया है और सी. ए. संख्या 192/2020 उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में नए सिरे से निर्धारण के लिए एन. सी. एल. टी. की फाइल में बहाल कर दिया जाएगा।

22. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।